और स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन संस्थाओं को प्रतिवर्ष दी जा रही वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इनके कार्य का मूल्यांकन किया जा रहा है; यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 6 स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्हें वर्षानुसार दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है:-

वर्ष	स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या	परियोजना का आकार	संस्वीकृत अनुदान
1987-88	1	600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	19,20,000/-
1988-89	3	660 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	21,00,000/-
1989-90	3	663 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	22,62,160/-

(ग) जी हां, 1987-88 के दौरान संयुक्त मूल्यांकन दल जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि तथा एक गैर-सरकारी सदस्य था, ने 1986-87 के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्य का मूल्यांकन किया। यह पाया गया था कि

(i) दो स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य संतोषजनक था;

(ii) एक स्वैच्छिक एजेंसी का कार्य संतोषजनक पाया गया था, परंतु उसमें सुधार की आवश्यकता थी;

(iii) दो स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया था क्योंकि एजेंसी बड़ी परियोजना कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं थी;

(iv) एक स्वैच्छिक एजेंसी का कार्य असंतोषजनक पाया गया था;

(v) पांच स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य न केवल असंतोषजनक पाया गया था अपितु उनकी प्रमाणिकता पर भी शंका थी।

Setting up of regional offices of Administrative Staff College

145. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Administrative Staff Colleges of India has recommended setting up of more regional offices;

(b) if so, where and by when these regional centres have been proposed to be set up; and

(c) what would be infrastructure of these centres?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Gadgil formula

146. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have dropped the idea of amending the

Gadgil formula for the disbursement of funds amongst the States;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the Gadgil formula have been suitable; and

(d) whether the former Deputy Chairmen of the Planning Commission had assured the members that Government would amend the Gadgil formula?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) to (c) The disbursement of Central assistance for State Plans has so far been based on the modified Gadgil Formula as approved by the National Development Council in 1980. There have been suggestions for modification which are under examination in the context of the Eighth Plan formulation. The formula could be modified only with the approval of National Development Council.

(d) Yes, Sir. The former Deputy Chairman of the Planning Commission had stated in the recently held N.D.C. meeting that as situation changed, conditions changed and hence it would be necessary to consider the various suggestions made in respect of modification in the formula.

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी में व्यय

147. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 22 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1379 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा में प्रदूषण को रोकने संबंधी कार्य योजना पर वाराणसी में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसमें कहां तक सफलता मिली है;

(ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत और कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है और क्या सरकार ने अब तक इस योजना की सफलता के संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय): (क) से (ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी में 41.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 35 स्कीमें मंजूर की गई हैं। जून, 1990 तक 34.31 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मंजूर की गई 35 स्कीमों में से, 25 स्कीमें अब तक पूरी की जा चुकी हैं, जिसमें 7 अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीमें और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डी.एल.डब्ल्यू.) में 2 सीवेज उपचार संयंत्र की स्कीमें शामिल हैं। तीन अल्प-लागत सफाई से संबंधित स्कीमें, जिसमें 62 सामुदायिक शौचालय परिसर तथा 670 पोर फ्लश शौचालय शामिल हैं, पूरी की जा चुकी हैं। गंगा नदी में प्रतिदिन बहने वाले 25 मिलियन अपशेष जल का अवरोधन करके उसकी दिशा बदली गई है और उपचारित किया गया है। घुलित आक्सीजन (डी.ओ.) तथा बायोकेमिकल आक्सीजन मांग (बी. ओ. डी.) के सन्दर्भ में वाराणसी में जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 1986 में घुलित आक्सीजन (डी.ओ.) का स्तर जोकि 5.87 मिलीग्राम प्रति लीटर (एम.जी./एल.) था, वह 1989 में मिलीग्राम प्रतिलीटर (एम. जी./एल.) तक पहुंच गया तथा उसी अवधि में बायोकेमिकल आक्सीजन मांग (बी. ओ.डी.) का स्तर 10.60 मिलीग्राम प्रतिलीटर (एम.जी./एल.) से कम होकर 3.95 मिलीग्राम प्रतिलीटर (एम. जी./एल) तक हो गया है। गंगा कार्य योजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गंगा परियोजना निदेशालय ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (नीरी) नागपुर, और गंगा